भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 979

(जिसका उत्तर सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

व्यापार को सुगम बनाने हेतु मानदंड

979. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री चंद्र शेखर साहूः
श्री प्रतापराव जाधवः
श्री बिद्‌युत बरन महतोः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री सुब्रत पाठकः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में व्यापार को सुगम बनाने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक ऐसे विभिन्न मानदंडों को पूरा किया है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने ऐसे मानदंडों को पूरा करने वाले राज्यों को उधार लेने की अनुमति दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति मिलने के बाद अब तक ऐसे विभिन्न राज्यों में बढ़े हुए रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जी, हां।

(ख), (ग) एवं (घ): अभूतपूर्व कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों के संसाधनों को सशक्त करने के लिए, सरकार ने सभी राज्यों को संबोधित किया। निम्न विशिष्ट राज्य स्तर के सुधारों के कार्यान्वयन के अध्यधीन वित्त वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के हर सुधार के लिए 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी को योजनाबद्‌ध किया है: (i) एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्यन; (ii) व्यापार में सुगमता सुधार; (iii) शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार एवं (iv) विद्‌युत क्षेत्र में सुधार। व्यापार में सुगमता के सुधारों के कार्यान्यन के लिए 20 राज्यों को 39,521 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी गई। ईओडीबी एक निरंतर प्रक्रिया है और उसका परिणाम नियत समय में दिखेगा। जिन्होंने व्यापार में सुगमता के सुधारों का पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया है उन राज्यों की सूची **अनुबंध-'क'** के रूप में संलग्न है।

अनुबंध-क

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ईओडीबी सुधारों के कार्यान्वयन की स्थिति
1	आंध्र प्रदेश	पूर्ण रूप से कार्यान्वित
2	कर्नाटक	
3	मध्य प्रदेश	
4	तमिलनाडु	
5	तेलंगाना	
6	राजस्थान	
7	केरल	
8	ओडिशा	
9	हिमाचल प्रदेश	
10	हरियाणा	
11	असम	
12	गुजरात	
13	पंजाब	
14	अरुणाचल प्रदेश	
15	उत्तर प्रदेश	
16	उत्तराखंड	
17	मेघालय	
18	छत्तीसगढ़	
19	त्रिपुरा	
20	गोवा	

*****